राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर ।

क्रमांक–ई–20/मस्वाका/2018/92 दिनांक– 11-01-2019

समस्त मु0चि0एवं स्वा0 अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान ।

–परिपत्र–

विभाग में विभागीय कोटे से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता जी0एन0एम0 प्रशिक्षण प्राप्त करती है । उक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के जी0एन0एम0 प्रशिक्षण हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृति के प्रस्ताव विभिन्न जिलों से संबंधित अधिकारियों द्वारा निदेशालय में भिजवाये जाते हैं । लेकिन यह देखने में आया है कि उक्त अधिकारियों द्वारा सभी संबंधित सूचना पूर्ण रूप से तैयार किये बिना ही प्रस्ताव निदेशालय में भिजवा दिये जाते हैं, इससे अनावश्यक रूप से अवकाश स्वीकृति में विलम्ब होता है तथा कर्मचारी अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं । अतः इस संबंध में निम्न निर्देश जारी किय जाते हैं –

1. कर्मचारी का पूरा नाम मय पदस्थापन स्थान ।
2. राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि ।
3. जी0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन पत्र ।
4. जी0एन0एम0 प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्ति आदेश की प्रति ।
5. जी0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति दिनांक ।
6. आवेदित (जीए–45) अवकाश का प्रकार ।
7. कार्मिका के अवकाश कोष में शेष उपार्जित/अर्द्धवैतनिक अवकाश ।
8. दो शपथ पत्र एवं एक बंध पत्र संलग्न प्रपत्रानुसार ।

उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं की सूचना पूर्ण रूप से तैयार करने के उपरान्त ही अवकाश स्वीकृति के प्रस्ताव निदेशालय को भिजवायें । यदि कोई भी प्रकरण बिना प्रकरण की जॉच/परीक्षण के भिजवाया जावेगा तो विलम्ब के लिये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

(राकेश शर्मा)
अति0निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

परिशिष्ट 16 अ

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाध्य सरकारी कर्मचारी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बन्ध पत्र का प्रारूप ड्राफ्ट

यह बन्ध पत्र आज दिनांक...................... को एक पक्ष के जी.एन.एम. पद पर नियुक्त...पुत्री...पत्नि श्री.. आयु..............वर्ष जाति........................निवासी...जिला........................... राजस्थान (जो इसमे आगे एतद् पश्चात पशिक्षणार्थी कहलायेगा)।

और

दूसरे पक्ष में प्रथम जामिनी...जाति.................निवासी..... ....एवं द्वितीय पक्ष जामिनी.. ....जाति................................निवासी..(जिन्हें इसमें आगे एतद् पश्चात सामूहिक रूप से जामिन कहा जायेगा) के पक्ष में लिया गया है।

चूंकि राज्य सरकार ने प्रशिक्षणार्थी को जी.एन.एम. के पद पर नियुक्ति हेतु चुना है और चूंकि नियमानुसार यह आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थी उस पर स्वतंत्र रूप प्रभार संभालने के पूर्व जिसके लिये कि उसे चुना गया है, दो वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करें और चूंकि सरकार इसमें आगे एतद् पश्चात दी हुई शर्तो की पर प्रशिणार्थी को प्रशिक्षण में भेजने के लिये इस प्रतिबंध के साथ सहमति दी गई है कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा कथित शर्तो का पूर्णतयां अनुपालन करने के लिये जामिन जमानत देंगे और चूंकि जामिन प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तो का वृर्तत अनुपालन करने के लिये जमानत देने को सहमत हो गये हैं। अतः यह विलेख निम्न बातो का साक्ष्य है कि:--

1:--सरकार के प्रशिक्षणार्थी को जी.एन.एम. पद पर नियुक्ति हेतु चयन करने तथा नियमानुसार उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के विचार से एवं कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी एतद् द्वारा सरकार के साथ संविदा करता है कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूरे होने के बाद दो वर्ष के भीतर व उपयुक्त कथित पद जिसके लिये वह चुना गया है

से न तो त्याग पत्र देगा और जिस पद के लिये चुना गया है उसके अतिरिक्त किसी अन्य पद परं नियोजित ही होगा।

2:—यह कि उपयुक्त कथित विचार को ध्यान में रखकर और कथित अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद् द्वारा सहमत हैं कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात दो वर्ष की अवधि के भीतर यदि प्रशिक्षणार्थी त्याग पत्र देता है या उक्त अनुच्छेद (1) का उल्लांन करते हुये कहीं और नियोजित होता है तो प्रशिक्षणार्थी और जामिन पृथक–पृथक रूप से और सामूहिक रूप से सहमत राशि सरकार को वापिस अदा करेंगे जो सरकार प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी को देता है इसके साथ वे अब अन्य खर्चे भी सरकार को लौटायेंगे जो इसमे सरकार को करने पडे किन्तु इसमें प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी को दी गई यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की राशि शमिल नहीं होगी और वर्षो की प्रशिक्षण एवं जामिन के इसी साक्ष्य स्वरूप यह बंध पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनों द्वारा उपयुक्त अंकित दिनांक और हस्ताक्षरित किया गया है।

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित	प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित	द्वितीय जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

नाम:—

हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अंकित जामिनों के पास अचल सम्पत्ति है और उक्त अचल सम्पत्ति का मूल्य 1,00,000/— रूपये से कम नहीं है।

शपथ पत्र

मैं कि...पुत्री...पत्नि..............
....आयु.........................जाति.......................................निवासी........................
.............................जिला........................राज0 की रहने वाली हूं।

1:-यह है कि मेरा वर्ष ....के लिये जी.एन.एम. कोर्स हेतु चयन संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर की अनौपचारिक टिप्पणी क्रमांक............ ....दिनांक...................... के द्वारा किया गया है तथा मेरा प्रशिक्षण केन्द्र.............................. ....रखा गया है।

2:-मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस जमा कराने हेतु मैं बाध्य हूं। यदि राज्य सरकार द्वारा इसमें वृद्धि हेतु जो भी निर्णय किया जावेगा तो उस फीस के अन्तर की राशि मैं जमा करा दूंगी।

3:-यह है कि मैं राज्य सरकार चयन कमेटी द्वारा जो फीस निर्धारित की जावेगी उसको भरने के लिये मैं बाध्य हूं। यदि मैं निर्धारित फीस समय पर जमा नहीं कराती हूं तो मेरा चयन निरस्त करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

4:-यह है कि राज्य सरकार एवं राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा समय समय पर जारी प्रशिक्षण संबंधी नियमों का पालन करूंगी तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का वाद न्यायालय में दर्ज नहीं कराउंगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

5:-मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण पत्र/मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से सत्य है। यदि असत्य पाये जाते हैं तो विभाग को प्रार्थी पर पुलिस/न्यायिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

सत्यापन

तस्दीक करती हूं कि उपरोक्त कथन मेरी जानकारी में सही है। इसमें मैंने कुछ नहीं छुपाया है। सत्य बोलने में व बताने में मेरी ईश्वर मदद करें।

शपथ पत्र

अध्ययन अवकाश को प्रस्थान करने वाले स्थाई सरकारी कर्मचारियों के लिए बंध पत्र इस लेखा द्वारा समस्त व्यक्तियों को विदित हो कि मैं श्रीमती ....में प्रसाविका के रूप में कार्यरत थी। जो इसमें एतद् पश्चात् आगे आभारी कहलायेगा की ओर से जामिन...व दूसरा ....एतद् पश्चात् सामूहिक रूप से और पृथक रूप से स्वयं को अपने पारस्परिक उत्तराधिकारियों निष्पादको और प्रशासकों को राजस्थान के राज्यपाल की ओर जो एतद् पश्चात् इसमें और सरकार कहलायेगा। मांगे जाने पर साठ हजार रूपये मात्र की राशि (60,000/-) रूपयों उसे मांगे जाने की तिथि से सरकारी ऋण पर तत्समय लगे सरकारी दर देय ब्याज सहित अदा करने और यदि वह अदायगी भारत के अलावा किसी अन्य देश में हो तो उस देश और भारत के बीच तय की मुद्रा परिवर्तन का सरकार दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में उक्त कथित राशि के बराबर राशि लौटाने तथा सरकार द्वारा दिये जाने वाले सभी खर्चे एवं वकील और मुवक्किल के बीच तय किये गये मेहनताने सहित लौटाने के लिए आभार करते हैं। यह आज दिनांक ....माह.......................को लिखा गया।

और चूंकि उक्त आबद्धता श्रीमती..............................को सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है।

और चूंकि सरकार की उचित सुरक्षा हेतु आबद्धता श्रीमती.................................... इसमें आगे लिखी गई शर्तो पर इस बंध को निष्पादित करने के लिए सहमत हो गई है।